

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
वामपंथी उग्रवाद प्रभाग

कक्ष सं. 93-डी
नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक जुलाई, 2014

सेवा में

डा. नूतन ठाकुर,
5/426, विराम खंड
गोमती नगर
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।


महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मुहैया कराने के लिए अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय के दिनांक 02.07.2014 के पत्र संख्या ए-43020/01/2014-आर टी आई के तहत अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त अपने दिनांक 15.05.2014 के आर टी आई आवेदन सं. एन टी/कॉम./जी ओ आई/02 का अवलोकन करें।

2. आपके द्वारा उल्लिखित बिंदुओं के बारे में अधोहस्ताक्षरी के पास कोई सूचना नहीं है। अतः अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के संबंध में सूचना शून्य समझी जाए।

3. इस उत्तर के संबंध में धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील श्री एम.ए. गणपति, संयुक्त सचिव (एल डब्ल्यू ई), वामपंथी उग्रवाद प्रभाग, गृह मंत्रालय, कक्ष सं. 193-ए/1, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को की जा सकती है।

भवदीय



(के.एस.कुसला कुमार)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक (एल डब्ल्यू ई)
टेलीफेक्स: 23092506

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्री एस. सामंत, अवर सचिव, (आर टी आई) गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 02.07.2014 के पत्र सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के संदर्भ में।
2. अन्वुभाग अधिकारी (आई टी) सैल, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवेदक के उक्त आर टी आई आवेदन की प्रति सहित।